मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1996 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी, 1996 (माघ 24, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख -

1. श्री भालचन्द्र बागदरे, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.
2. श्री नन्दमूरि तारक रामाराव, भूतपूर्व मुख्यमंत्री आन्ध्र प्रदेश.
3. प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे, सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री. → अपरिहार्य कारणों से सभा में निधन उल्लेख नहीं किया गया. (केवल क्र.3 का)
4. श्री नरहरिदास त्यागी, महन्त गुफा मंदिर.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हरवंश सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं पटल पर रखेंगे :-

(क) क्रमांक बी-1-4-95-बाईस-पं.-2, दिनांक 23 दिसम्बर, 1995 ;
(ख) क्रमांक बी-1-4-95-बाईस-पं.-2, दिनांक 10 जनवरी, 1996 ;
(शुद्धि पत्र)
(ग) क्रमांक बी-1-40-95-बाईस-पं.-2, दिनांक 23 दिसम्बर, 1995 ;
(घ) क्रमांक बी-1-41-95-बाईस-पं.-2, दिनांक 23 दिसम्बर, 1995 ; एवं
(ड.) क्रमांक बी-1-44-95-बाईस-पं.-2, दिनांक 23 दिसम्बर, 1995 ,

(2) श्री रविन्द्र चौबे, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(क) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा का सत्ताइसवां वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 (दिनांक 1 जुलाई, 1994 से दिनांक 30 जून, 1995 तक) ;

(ख) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का लेखा वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 का अंकेक्षण प्रतिवेदन भाग-एक ;

(ग) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 ; एवं

(घ) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का दिनांक 30 जून, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन,

4. नवम्बर-दिसम्बर 1995 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

5. नियम 267-क के अधीन नवम्बर-दिसम्बर, 1995 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री थावरचन्द गेहलोत, सदस्य, प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में मिट्टी का तेल न मिलने से नागरिको को हो रही परेशानी की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री धनश्याम पाटीदार, सदस्य, नीमच के बधाना निवासी एक व्यक्ति की एड्स से मौत होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. सभापति तालिका की घोषणा

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री तनवंत सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 1995 (क्रमांक 41 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री जसवंत सिंह, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 42 सन् 1995) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

10. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. — प्रदेश के कोल माइन्स क्षेत्रों एवं अन्य खनिज उत्खनन क्षेत्रों से संबंधित जिलों में प्रदूषण के कारण हो रही जानलेवा बीमारियों के संबंध में सर्वश्री बच्चन नायक, रामलखन शर्मा, गौरीशंकर बिसेन, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

11. प्रतिवेदन पर चर्चा

1 घन्टा — मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 1994-95) तथा लोक आयुक्त संगठन का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 (व्याख्यात्मक ज्ञापन) पर चर्चा.

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 12 फरवरी, 1996